न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग। 3

वाद सं0–97 / 2021 **धारा–144 दं0प्र0स0**

घमण्डु महतो –बनाम– चेतलाल महतो

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

आवेदक कि ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु वकालतनामा के साथ आवेदन दाखिल किया। आवेदन के अवलोकन के पश्चात संतुष्ट होकर उभय पक्षों के विरूद्ध मौजा धरहरा थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 34, प्लॉट सं0 399 रकबा 70 डी0 मधे रकवा 12 डी0 भूमि जिसका चौहदी उ0– अरूण प्रसाद, द0– चेतलाल महतो पू0– रामेश्वर महतो प0– रोड एवं खाता सं0 34, प्लॉट सं0 399 रकबा 10 डी0 भूमि जिसका चौहदी उ0– तालमणी प्रसाद, द0– बालगोबिन्द प्रसाद, पू0– रोड, प0– शिवलाल महतो वाली भूमि पर धारा–144 दं0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर भूमि संबंधी कागजात एवं कारणपृच्छा की मांग की गयी।

आवेदक अपने आवेदन पत्र में लिखित बयान दिया है कि विवादित भूमि खाता सं0 34, प्लॉट सं0 399 रकबा 70 डी0 मधे 0.23.33 डी90 करके प्रत्येक भाई का हिस्सा हुआ जिस पर सभी भाई अपने अपने हिस्से कि जमीन पर शांति पूर्वक जोत कोड करते आ रहे है। मौजा धरहरा खाता स0 34 प्लॉट न0 399 वाली जमीन सर्वे खतियान में धनी राम सूण्डी वो पेमा सूण्डी के नाम से दर्ज है, पेमा सूण्डी के एकमात्र पुत्र जानकी महतो दखलकार हुए एवं जानकी महतो के मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र 1. झलु महतो 2. पुहप महतो 3. तुलसी महतो हुए। झल्लु महतो के एकमात्र पुत्र घमण्डु महतो हुए। पुस्तैनी घरैलु बंटवारा पर प्रथम पक्ष अपने हिस्से पर दखलकार है जिसे विपक्षी बेदखल कर इनके खतियानी जमीन को हडपने के उददेश्य से बाजबरदस्ती जे0सी0बी0 मसीन से ट्रेंच खोदने पर उतारू है।

द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा स्वंय दाखिल किया जिसमें उल्लेख किया है कि खाता सं0 34, प्लॉट सं0 399 रकबा 70 डी0 मधे रकवा 0.22 ए0 भूमि जो ~~आवेदक के~~ प्रथम पक्ष के पूर्वज तुलसी महतो,पुहप महतो पिता स्व0 जानकी महतो अपने घराय बंटवारा कर मसोमात बिशुनी पति स्व0 रजबली मियां साकिन धरहरा थाना बरकट्ठा के पास सन 1978 में ही केवाला द्वारा बिकय कर चूके है बिशुनी के मृत्यु के उपरांत उनके उतराधिकारी पुत्र वगै0 करीब 12 वर्ष पूर्व कुल रकवा 0.70 एकड़ अपने माता द्वारा खरीदगी भूमि का केवाला द्वारा बिकय कर चूके है।

उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निदेश दिया गया,जिसमें प्रथम पक्ष अपने मूल खतियान के साथ उपस्थित हुए तथा द्वितिय पक्ष ना तो खुद उपस्थित हुए ना ही इनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाया गया। अभिलेख में दाखिल कारणपृच्छा, दाखिल दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्षों के पास प्रश्नगत भूमि के स्वत्व से संबंधित अलग–अलग दस्तावेज है एवं इन्हीं अलग–अलग दस्तावेजों के आधार पर अपने स्वत्व एवं दखल कब्जा का दावा करते है। उभय पक्षों का वाद अपने स्वत्व के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाने का है, जिसका निवारण दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। अतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपने स्वत्व के आलोक में दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

28/9/21
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:41:32 +05:30
Location: 192.168.101.22